गोविन्दराम बनाम हेमराज निगरानी प्रकरण संख्या 01/2018

26.09.2018

प्रकरण में गोविन्दराम ने प्रार्थना पत्र बावत निगरानी विड्रो करने हेतु मय भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या डीडब्ल्यूएक्स/2381440 की प्रति मय वकालतनामा सुश्री निर्मला शर्मा व पवन दवे का पेश कर जरिए विड्रो करने निगरानी प्रकरण को फैसल करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के वकील श्री निखिल दवे द्वारा कोई आपति नहीं होने की टिप्पणी अंकित की है।

साथ ही प्रार्थना पत्र के संलग्न एक अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि श्री शंभूदान आशिया को अधिवक्ता नियुक्त किया था। प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मेरे व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण मै उक्त निगरानी आगे नहीं चला कर जरिए विड्रोवल खारिज करवाना चाहता हूं। परंतु मेरे अधिवक्ता द्वारा मेरी पहचान करने एवं विड्रोवल पर हस्ताक्षर बतौर पहचानकर्ता नहीं किये जाने के कारण अन्य अधिवक्ता पवन दवे व सुश्री निर्मला शर्मा को अधिकृत किया गया है। जिसे मैंने राजीखुशी बिना दवाब के अधिकृत किया है। नव नियुक्त अधिवक्ता की पहचान पर प्रकरण जरिए विड्रोवल किये जाने की अनुमति प्रदान करावे।

प्रकरण में प्रार्थी के पूर्व अभिभाषकगणो को रूक रूक कर तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन उपस्थित नहीं आये।

गोविन्दराम के अधिवक्ता सुश्री निर्मला शर्मा व पवन दवे ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये निगरानी जरिए विड्रोवल खारिज करने की मांग की। अप्रार्थी के वकील श्री निखिल दवे द्वारा निगरानी जरिए विड्रोवल खारिज की जाती है तो कोई आपति नहीं होना व्यक्त किया।

प्रकरण में गोविन्दराम की पहचान सुश्री निर्मला शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र के वकालतनामा संलग्न है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या डीडब्ल्यूएक्स/2381440 की प्रति से गोविन्दराम पुत्र करमसी की पहिचान होती है, जो प्रार्थी की पहिचान के लिये पर्याप्त है। प्रकरण में प्रार्थी स्वंय प्रकरण को जरिए विड्रो निस्तारित करवाना चाहता है। अत: प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण जरिए विड्रोवल प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सही-
जिला कलेक्टर
जालोर